(ख) क्या यह सच है कि कुछ अधिकारी अपने चपरासियों से भी अंग्रेजी में बात करते हैं ;

(ख) हिन्दी अध्यापन योजना के अन्तर्गत उनको हिन्दी का प्रशिक्षण न देने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या ऐसे अधिकारियों को दिसम्बर 1970 तक हिन्दी कक्षाओं में उपस्थित होने को विवश किया जायेगा ; और

(ङ.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उपलब्ध सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT-3537/70]

(ख) ऐसा कोई दृष्टान्त गृह मंत्रालय के ध्यान में नही आया है।

(ग) से (ङ) उन सभी राजपत्रित अधिकारियों के लिए जिनकी आयु 1-1-1961 को 45 वर्ष से कम थी, सेवा में हिन्दी का प्रशिक्षण अनिवार्य है। भारत सरकार के मंत्रालयों। विभागों/कार्यालयों को अपने उन कर्मचारियों की सूचियां रखने में अनुदेश दिये गये हैं जिन्हें अभी हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रावस्था-भाजित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वर्ष इस सूची से लगभग 20 प्रतिशत कर्मचारियों को हिन्दी के प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। अतः हिन्दी न जानने वाले अधिकारियों को दिसम्बर, 1970 तक हिन्दी कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तथापि उनके प्रशिक्षण का कार्य यथाशीघ्र पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जिनमें पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण तथा केवल राजपत्रित अधिकारियों के लिए एक प्रबल पूर्णकालिक पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जाटों द्वारा हरिजनों पर ज्यादतियां

9835. **श्री वंशनारायण सिंह :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फर नगर तथा सहारनपुर जिलों में जाटों द्वारा हरिजनों पर की जाने वाली ज्यादतियों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) 1967 के आम चुनाव से मार्च, 1970 तक जाटों द्वारा हरिजनों पर कितनी बार बलात्कार किया गया, उनकी मारपीट की गई तथा हत्या की गई जिनके बरे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है;

(ग) इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोषियों के विरुद्ध केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कोई कठोर कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ङ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

मंत्रियों के निजी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोग

9836. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और

उप-मंत्रियों के निजी कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रियों के निजी कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के निजी सचिवों और सहायक निजी सचिवों की संख्या नगण्य है;

(ग) क्या सरकार इस आशय के प्रस्ताव पर विचार करेगी कि उपरोक्त तीन श्रेणियों के मंत्रियों के निजी सचिव अथवा सहायक निजि सचिव के एक पद पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्ति को अनिवार्य रूप से नियुक्त किया जाये; और

(घ) क्या निजी कर्मचारियों में आशुलिपिकों को भी आरक्षित कोटे के अनुसार नियुक्त किया जायेगा; और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ). मंत्री तथा उप-मंत्री अपने निजी कर्मचारियों का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं और ऐसी नियुक्तियां मंत्रियों के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाती हैं । अतः इन नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोटा का आरक्षण लागू करना व्यवहारिक नहीं है ।

मंत्रालयों में हिन्दी में टिप्पणी और मसौदा लेखन

9837. **श्री वंश नारायण सिंह :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों के अनेक पदाधिकारी और भारत सरकार के अनेक कार्यालय अपने अधीनस्थ उन कर्मचारियों को, जो हिन्दी में टिप्पणी और मसौदा लेखन करना चाहते हैं, अपना काम अंग्रेजी में करने के लिए बाध्य करते हैं;

(ख) यदि हां तो उक्त अधिकारियों के नाम और पद नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार टिप्टणी और मसौदा लेखन के मामले में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करने के सम्बन्ध में आदेश जारी करने के प्रश्न पर विचार करेंगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). जुलाई, 1968 जारी किये गये प्रशासनिक अनुदेशों में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि कोई कर्मचारी टिप्पण अथवा मसौदा लेखन के प्रयोजनों के लिए हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी का प्रयोग कर सकता है और यह कि स्वयं उससे उसका अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए । जब कभी इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध का कोई दृष्टान्त गृह मंत्रालय के ध्यान में लाया जाता है तो सम्बन्धित विभाग कार्यालय के साथ उस मामले पर बातचीत की जाती है । कार्यालयों तथा कर्मचारियों के नामों तथा पदनामों के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।